

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्रीश्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव

राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन

मुख्य अतिथि
श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

25 मार्च, 2025 | आदर्श स्टेडियम, बाड़मेर | दोपहर 3:00 बजे

राशि हस्तांतरण / वितरण

1.10 करोड़ परिवारों
को 200 करोड़ रुपए की
एल.पी.जी. सब्सिडी

30,000 बालिकाओं को
लाडो प्रोत्साहन योजना में
7.5 करोड़ रुपए

31,790 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार,
बालिका प्रोत्साहन एवं मुख्यमंत्री
हमारी बेटियाँ योजनाओं में 13.16 करोड़ रुपए

5,000 मेधावी छात्राओं को
कालीबाई भील योजना में
स्कूटी वितरण

स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फॉर
एकेडमिक एक्सीलेंस योजना
के तहत स्वीकृतियाँ

18,300 महिला समूहों
को 100 करोड़ रुपए
का हस्तांतरण

5,000 महिलाओं को
इंडक्शन कुक टॉप
का वितरण

बर्तन बैंक योजना

महिला महाविद्यालयों में
पुस्तकालय / रीडिंग रूम के
उपयोग के सम्बन्ध में

अति कुपोषित बच्चों के लिए
टेक होम राशन योजना में दूध की मात्रा
15 ग्राम से 25 ग्राम

सोलर दीदी

समर्थ महिला - समृद्ध राजस्थान

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

विचार बिन्दु

असत्य फूस के ढेर की तरह है। सत्य की एक छिनगारी भी उसे भस्म कर देती है। -हरिभाऊ उपाध्याय

मांझी जो नाव डुबोए, उसे कौन बचाए?

ज

ब से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्षावंत वर्मा के घर पर आग बुझाने के लिए गई फायर ब्रिगेड को नोटों की जली हुई गड़ियां मिलने की खबर सामने आई है, तब से ऐप्पे देश में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे तो, न्यायपालिका में ब्राह्मचारी की खबरें यदा कदा आती रही हैं, किंतु इस प्रकार से उच्च न्यायालय के पर से इनी बड़ी संख्या में कढ़ी, जिसकी जो नोटों में बताई जा रही है, पहली बार मिली है। यदि न्यायाधीश के घर में आग नहीं लगी होती तो इस प्रकार का कोई प्रकार सामने आने की प्रस्ता नहीं थी। अन्य लोक सेवकों के विरुद्ध, जिस प्रकार भ्रष्टाचार निरोधक विभाग अथवा सीबीआई रेड कर सकती है, वैसा वह किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वहाँ नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए उच्च संविधान भूख्य न्यायाधीश की अनुभवीती की आवश्यकता होती है।

लगे खुल कर न्यायाधीशों के ब्राह्मचारी की बात इसलिए भी करने से डरते हैं, क्योंकि अवमानना का भय रहता है।

आश्वर्य की बात यह है कि घटना 14 मार्च 2025 की है और पांच दिन तक इसके बारे में न सुनीय कोई नोटों में कोई जानकारी दी न ही सरकार ने इस बारे में मीडिया को कुछ बताया। पहली बार इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से 20 अप्रैल को प्राप्त हुई, जब प्रमुख समाचार पत्र 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के विस्तृत संवादात्मक महापात्र को विस्तृत रिपोर्ट हुए पर प्रमुख वार्ता से प्रकाशित हुआ। रिपोर्ट में यह बताया गया कि जरिस्त वर्ष के घर में आग लगाने पर फायर ब्रिगेड वहाँ जहाँ तो बड़ी संख्या में जले हुए नोट प्राप्त हुए यह समझने से परे है कि इस बारे में पुलिस विभाग या फायर ब्रिगेड के किसी अधिकारी ने कोई औपचारिक बयान क्यों नहीं जारी किया? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मीडिया के वस्तुत्वात्मक को कोई जानकारी न देने के कारण पूरे दिन अफवाहों का बाजार गर्म रहा। किसी ने प्राप्त नोटों की कीमत 15 करोड़ बताई हो किसी ने 50 करोड़ एप्पे सोशल मीडिया के विभिन्न नोटों के लिए इसे संविधान विभिन्न व्हाइट बॉक्स की गई।

पहली खबर यह आई कि सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम ने 'न्यायाधीश वर्मा' का स्थानान्तरण दिल्ली से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश वर्मा का स्थानान्तरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय में 2021 में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के इस अदेश की मीडिया में आलोचना होने पर इस अदेश को बेबाइट से हटा लिया गया और कहा गया कि स्थानान्तरण के इस घटना से कोई संबंध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को एक तथ्यात्मक रिपोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भेजी जिसमें जलते हुए नोटों की गोड़ियों के रिकॉर्डिंग तथा जरिस्त वर्ष का स्थानीकरण भी शामिल था।

इलाहाबाद न्यायालय के बार एप्पोरिएशन से यह प्रतीताव भी पार्टी कर दिया कि वह अप्रतीत कर दिया कि वह सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से शपथ ताहान करने दें दो ब्राह्मिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय को 'डर्स्टन' होनी है। इसी बीच फायर ब्रिगेड के मुख्य फायर अधिकारी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आग बुझाने की गड्डी प्रकार के नोटों की गड्डी आपात की गई।

जब सभी और से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक जांच समिति गठित की, जिसका सदस्य हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, पंजाब-हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश और कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश को बनाया गया। अच्छा होता यदि इस समिति में न्यायाधीशों के अतिरिक्त समाज के निष्पक्ष और प्रबुद्ध प्रतिनिधि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भेजी जिसमें जलते हुए नोटों की गोड़ियों के रिकॉर्डिंग तथा जरिस्त वर्ष का स्थानीकरण भी शामिल था।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह अदेश पारित किया कि जरिस्त वर्ष की कोई प्रकार का कोई न्यायिक कार्य नहीं करेंगे जब तक कि उनके विरुद्ध जांच पूरी नहीं हो जाए। जस्टिस वर्षा के तथाकृति प्रभावाचार का यह प्रकरण सबको आंखों खो देने के लिए प्रयत्न है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 और 218 में क्रांतिकारी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय की अंतरिक जांच समिति द्वारा आरोपित सिर्फ दो नोटों के द्वारा दिया गया था। यदि इसका नियमन को विस्तृत कर देता है तो फिर राष्ट्रपति को संविधान वर्षावंत नहीं होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि आज तक किसी न्यायाधीश को हटाया गया है। इसे आपात करने की आलोचना होने पर नोटों की गोड़ियों के रिकॉर्डिंग तथा जरिस्त वर्ष का स्थानीकरण भी शामिल था।

न्यायाधीशों की मिली इसी सुधार के कारण प्राचारान्तरी के आरोप होने के बाबूजूद भी उनके विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यावाही नहीं हो सकती है।

यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है। एक ओर, जहाँ राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जमानत तक नहीं मिलती है, वहीं, अपने स्वयं के दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय पर कार्रवाई की आरोप होने पर यह उसे बड़ी संख्या में नोटों की गोड़ियों के रिकॉर्डिंग तथा जरिस्त वर्ष का स्थानीकरण भी शामिल था।

अपने स्वयं के किसी सदस्य पर इस प्रकार का आरोप लगाने पर वह उसे बचाने में पूरी तरह जुट जाती है।

अपने स्वयं के किसी सदस्य पर इस प्रकार का आरोप लगाने पर वह उसे बचाने में नहीं जाती है।

यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है। एक ओर, जहाँ राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जमानत तक नहीं मिलती है, वहीं, अपने स्वयं के दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय पर कार्रवाई की आरोप होने पर यह उसे बड़ी संख्या में नोटों की गोड़ियों के रिकॉर्डिंग तथा जरिस्त वर्ष का स्थानीकरण भी शामिल था।

यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है। एक ओर, जहाँ राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जमानत तक नहीं मिलती है, वहीं, अपने स्वयं के दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय पर कार्रवाई की आरोप होने पर यह उसे बड़ी संख्या में नोटों की गोड़ियों के रिकॉर्डिंग तथा जरिस्त वर्ष का स्थानीकरण भी शामिल था।

यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है। एक ओर, जहाँ राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जमानत तक नहीं मिलती है, वहीं, अपने स्वयं के दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय पर कार्रवाई की आरोप होने पर यह उसे बड़ी संख्या में नोटों की गोड़ियों के रिकॉर्डिंग तथा जरिस्त वर्ष का स्थानीकरण भी शामिल था।

यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है। एक ओर, जहाँ राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जमानत तक नहीं मिलती है, वहीं, अपने स्वयं के दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय पर कार्रवाई की आरोप होने पर यह उसे बड़ी संख्या में नोटों की गोड़ियों के रिकॉर्डिंग तथा जरिस्त वर्ष का स्थानीकरण भी शामिल था।

यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है। एक ओर, जहाँ राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जमानत तक नहीं मिलती है, वहीं, अपने स्वयं के दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय पर कार्रवाई की आरोप होने पर यह उसे बड़ी संख्या में नोटों की गोड़ियों के रिकॉर्डिंग तथा जरिस्त वर्ष का स्थानीकरण भी शामिल था।

यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है। एक ओर, जहाँ राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जमानत तक नहीं मिलती है, वहीं, अपने स्वयं के दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय पर कार्रवाई की आरोप होने पर यह उसे बड़ी संख्या में नोटों की गोड़ियों के रिकॉर्डिंग तथा जरिस्त वर्ष का स्थानीकरण भी शामिल था।

यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है। एक ओर, जहाँ राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जमानत तक नहीं मिलती है, वहीं, अपने स्वयं के दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय पर कार्रवाई की आरोप होने पर यह उसे बड़ी संख्या में नोटों की गोड़ियों के रिकॉर्डिंग तथा जरिस्त वर्ष का स्थानीकरण भी शामिल था।

यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है। एक ओर, जहाँ राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जमानत तक नही

